

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक—1/पी०एम०सी०/कार्य/853/2014.....

राँची, दिनांक :—.....

प्रेषक,

ई० शिवानन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

आंतरिक
वित्तीय
सलाहकार से
अनौपचारिक
रूप से
विमर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :— कनहर बराज परियोजना के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उसे सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करने के कार्य हेतु ₹ 9,95,30,000/— (रूपये नौ करोड़ पनचानवे लाख तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के परिक्षेत्राधीन कनहर बराज परियोजना के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उसे सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करने के कार्य के भुगतान हेतु ₹ 9,95,30,000/— (रूपये नौ करोड़ पनचानवे लाख तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
3. **प्रस्तावित उक्त व्यय**
माँग संख्या — 49 — जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष — 4701 — मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष —80— सामान्य, लघुशीर्ष — 800 — अन्य व्यय उप शीर्ष — 75— सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन—विस्तृत शीर्ष — 07 — अन्य व्यय 59 (49P470180 800750759)
उक्त शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 225.00 लाख का प्रावधान वर्ष 2014—15 के बजट में है।
4. कंडिका '2' में वर्णित कार्यों के व्यय हेतु योजना/कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
5. कंडिका '2' में वर्णित कार्य वर्ष 2015—16 तक इसमें उल्लेखित राशि के अन्तर्गत कराये जा सकेंगे।
6. उपरोक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में पूर्ण कराए जाने का कार्यक्रम है। तदनुसार वर्ष 2015—16 के बजट में राशि का प्रावधान किया जायेगा।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Handwritten signature

Handwritten signature

9. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, महोदया जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
10. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :-1/पी०एम०सी०/कार्य/853/2014.....

राँची, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :-1/पी०एम०सी०/कार्य/853/2014.....

राँची, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :-1/पी०एम०सी०/कार्य/853/2014.....

राँची, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित आयुक्त, झारखण्ड/सभी संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :-1/पी०एम०सी०/कार्य/853/2014.....

राँची, दिनांक :- 22.05.2014

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के सचिव/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)